न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–08/25 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–17.03.2025
निर्णय दिनाकः–07.05.2025

अनवान

सुशीला उर्फ समूला पुत्री धुला जाति भील निवासी कल्याणपुर तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी – निखिल सोमपुरा
अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय/आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया के सयुंक्त खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जेशुदा कृषि भूमि मौजा कल्याणपुर प0ह0बुचियाबडा खाता संख्या 16/15 कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.1516 हेक्टर स्थित है, उक्त कृषि भूमि में वादीया का 1/28 वॉ हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया सुशीला को घर पर प्यार से समूला कहा जाता था जिसके चलते वक्त विरासती नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटी वश प्रार्थीया का नाम समूला खाते में दर्ज रेकार्ड हो गया है। प्रार्थीया के समस्त आवश्यक पहचान दस्तावेजो में वास्तविक नाम सुशीला इन्द्राज है और इसी नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थीया के पहचान दस्तावेज ई–श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनआधार में प्रार्थी का नाम सुशीला पत्नि शंकर दर्ज है। प्रार्थीया के पैत्रृक कृषि भूमि सयुंक्त खातेदारी स्वामित्व कब्जेशुदा कृषि भूमि मौजा कल्याणपुर प0ह0बुचियाबडा खाता संख्या 16/15 कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.1516 हेक्टर स्थित में हिस्सा 1/28 त्रुटी वंश प्रार्थीया का नाम समूला गलत अंकित हो गया है।

राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वश उक्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम सुशीला के स्थान पर समूला अकिंत कर दिया है। वादग्रस्त खाते मे प्रार्थी का सही नाम सुशीला अकिंत किए जाने पर सहखातेदारो कोई आपत्ति नही है जिसका सहमति पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया

गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा को सम्मन जारी किए गये।

सम्मन तामिल होने पर तहसीलदार सागवाडा द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 1 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–77 मौजा कल्याणपुर पटवार हल्का बुचियावडा के खाता संख्या 16 कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.1516 हैक्टर में कुल 28 काश्तकारों में समूला पुत्री धुला हिस्सा 1/28 जाति भील सा0देह खातेदार नाम दर्ज रेकार्ड है। मौताविरान द्वारा प्रार्थीया की पहचान सुशीला पुत्री धुला के रूप में की गई तथा समुला पुत्री धुला खाते में दर्ज नाम को गलत बताया गया। जिसका प्रार्थीया द्वारा प्रमाण स्वरूप दस्तावेज आधार कार्ड पहचान दस्तावेज में सुशीला पत्नि शंकर रोत निवासी निचला फला नोखना तथा पेन कार्ड में सुशीला पिता धुला दर्ज है।

प्रार्थीया द्वारा स्वंय के नाम सुशीला पुत्री धुला (पत्नि शंकर) किया जाता है तो किसी प्रकार के राजहित प्रभावित नही होना बताया है। जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम की शुद्धि किए जाने हेतु सहखातेदारो का सहमति पत्र एवं पेश दस्तावेज प्रमाण एवं उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–77 मौजा कल्याणपुर पटवार हल्का बुचियाबडा के खाता संख्या 16 कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.1516 हैक्टर में कुल 28 काश्तकारो में प्रार्थीया का हिस्सा 1/28 में समुला पिता धुला दर्ज होने की अशुद्धि हुई है जिसे सुधार किया जाकर मौजा कल्याणपुर के खाता संख्या 16 कुल कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.1516 हैक्टर में प्रार्थीया का सही नाम सुशीला पुत्री धुला दर्ज रेकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम की शुद्धि कर खाते मे दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा